

1

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI
NIT

जोन क्रमांक 03 अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य 2026-27

S.N.	PARTICULERS OF ITEMS	No of Tanker	Day	Trip/Day	Qty	Item Rate AMT
i	जोन 03 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु से ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2026-27)					
a	(01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक)	1	30	9	270	
b	(01 मई से 31 मई 2026 तक)	2	31	9	558	
c	(01 जून से 30 जून 2026 तक)	2	30	9	540	
d	(01 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक)	2	15	9	270	
Total Trip					1638.00	

कार्यपालक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन क्रमांक ०३ मदरटेरेसा नगर


जोन क्रमांक ०३ अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2026-27)


//नियम एवं शर्तें//

1. पेयजल वितरण कार्य हेतु प्रदाय निजी ट्रेक्टर टेंकरों का व्यय (वाहन चालक/हेल्पर सहित) एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से करेगा एवं एजेंसी को जलप्रदाय, कार्य की सूचना प्राप्त के 02 घंटे के भीतर कार्य करना होगा।
2. निगम के अधिकारियों द्वारा पेयजल वितरण व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. पेयजल वितरण कार्य का लॉगबुक संधारित करना होगा, एवं सत्यापित कराना होगा।
4. निदान 1100 में प्राप्त षिकायत का संधारण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन राशि रु. 1000.00 पेनाल्टी देयक से कटौती की जायेगी।
5. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों की आर.सी. एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहन की बीमा एवं अनिवार्य सभी वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य है।
6. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों के वाहन चालकों की ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य है।
7. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखना आवश्यक होगा, इसके लिए एजेंसी को ट्रेक्टर टेंकर एवं वाहन चालक स्थापन के रूप में रखना होगा, ताकि ट्रेक्टर टेंकर खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो।
8. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
9. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकर की देखभाल सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
10. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से देय करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
11. कार्य की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी वाध्य रहेगी।
12. आवश्यकतानुसार कार्य मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी वाध्य होगी।
13. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।
16. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो इसकी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।
18. 24 घंटे की सूचना में ट्रेक्टर/टेंकर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।


जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम,
भिलाई


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई


उप अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई